न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम नं. — 2024/300
मुकदमा नम्बर 115/2024 दर्ज दिनांक—09.07.2024

1. ओमप्रकाश पुत्र लक्ष्मीनारायण (मृतक)
   1/1 पारूल यादव पुत्री स्व. ओमप्रकाश
   1/2 दिवेश यादव पुत्र स्व. ओमप्रकाश
2. हरचन्द पुत्र लक्ष्मी नारायण जाति अहीर निवासीगण मैनास, तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र रामनिवास
2. मोहरसिंह पुत्र बनवारीलाल
3. रामस्वरूप पत्र्रु जयनारायण
4. शिवचन्द पुत्र जयनारायण
5. सत्यपाल पुत्र रामनिवास समस्त जाति अहीर निवासीगण मैनास, तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
6. भूमिधारक राज्य सरकार जरिए (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार नवलगढ जिला झुझुंनू

वकील आवेदक : — श्री विधाधर सिह जाखड, श्री सुरेन्द्र भर्रा
अनावेदक सं. 1 लगा.5 — एक पक्षीय
अनावेदक सं. 6— पैरो. राज

<u>प्रार्थना—पत्र(पत्थरगढ़ी) अन्तर्गत धारा 111,128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 24.02.2025

प्रार्थी द्वारा प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया कि, राजस्व ग्राम मैनास पटवार हल्का कुमावास की सरहद में भूमि खसरा नं. 226 रकबा 2.78 है0 की पूर्वी सीमा पर पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश दिये जावें।

प्रा. पत्र पेश होने पर तलबी अनावेदकगण की जारी की गई। अनावेदक सं. 1लगा. 5 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने पर इस प्रकरण में इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अना. सं. 6 पैरो. राज. उपस्थित ।

बहस एक पक्षीय पेश होने पर बगौर सुनी गई। वकील आवेदक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। मुताबिक राजस्व रिकार्ड खातेदार को अपनी कृषि जोत पर सीमाज्ञान व स्थायी सीमा चिन्ह कायम किये जाने का पूर्ण अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रा0 पत्र मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 16.06.2024 अनुसार भूमि खसरा नं. 226 रकबा 2.78 है0 की पूर्वी सीमा पर पत्थरगड्डी किये जाने का स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार नवलगढ को मुताबिक सीमाज्ञान ग्राम मैनास पटवार हल्का कुमावास की सरहद में भूमि खसरा नं. 226 रकबा 2.78 है0 की पूर्वी सीमा पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। सीमाज्ञान व पत्थरगडी हेतु नियमानुसार शुल्क आवेदक द्वारा जमा करवाये जाने पर नियमानुसार आदेश की पालना सुनिश्चित कर दी जावे।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि, नियमानुसार शुल्क राजकोष मे जमा कर उक्त सम्बन्ध मे जो भी हितबद्व आवश्यक पक्षकार व खातेदार हो उनकी मौजूदगी मे सीमाज्ञान करते हुये ,पत्थरगड्डी करे। यदि आदेश कि पालना हेतु आवश्यक हो तो पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त करली जावे, जिसका आवश्यक होने पर समस्त खर्चा आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 24/02/2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला—झुझुंनू